सेवा मे ,

दिनांक- 14-09-2010

सचिव
केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रा
भारत सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
निर्माण भवन नई दिल्ली

BULANDSHAHAR KUTCHERY (203...
SP EU179044025IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:S.C.HEALTH,PARIWAR,
New Delhi, PIN:110
From:DR ASHOK KUMAR , CHAND PUR ROAD DE
Wt:110grams,
Amt:29.00 , 14/09/2010 , 11:17
Taxes:Rs.4.00<<Track on www.indiapost.g

विषय- **नैचरोपैथी की जानकारी के सन्दर्भ मे ।**

महोदय,

जैसा कि आपको विगत होगा कि मैडिकल काउसिंल आफ इन्डिया एक्ट 1956 (एलोपैथी के लिए) सी0सी0आई0एम0 एक्ट 1970 (आर्युवेद ,युनानी सिद्ध के लिए) सी0सी0एच0एक्ट 1973 (होम्योपैथी के लिए) के परिषद के गठन के उपरान्त इन चिकित्सा पद्धतियो को चिकित्सा शिक्षा उपरोक्त एक्ट के अधीन किया जा रहा है । जब कि नैचरोपैथी भारत सरकार एंव समस्त राज्यो सरकारो द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभी तक भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा, शिक्षा संस्थानो के संचालन और इन पर आधारित उपचारक/चिकित्सको के लिए आचार संहिता नियमो का निर्धारण नही किया गया है और न कोई एक्ट स्थापित किया गया है । जिसके कारण भारत मे नैचरोपैथी की चिकित्सा-शिक्षा के लिए कोई कानून न होने के कारण सरकार द्वारा पंजीकृत दर्जनो संस्थाये जो नैचरोपैथी के विकास प्रचार-प्रसार अनुसंधान के लिए विधिवत रूप से भारतीय संविधान के एक्ट 21,1860 के अधीन पंजीकृत है । और नैचरोपैथी की शिक्षा-दीक्षा प्रशिक्षण उपरान्त सफल अभ्यर्थियो को नैचरोपैथी के डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान कर रही है । जो कानून न होने के कारण अतः पूर्ण रूप से वैध है। इसी तरफ विश्वविधालय द्वारा भी नैचरोपैथी की शिक्षा - दिक्षा प्रशिक्षण के उपरान्त डिग्री - डिप्लोमा प्रदान किये जा रहे है। ये भी वैध है क्योकि भारतीय संविधान के अर्न्तगत विश्वविधालय एंव पंजीकृत संस्थाये द्वारा प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा इसी लिए मान्य है क्योकि अभी तक नैचरोपैथी के लिए कोई एक्ट/कानून सरकार द्वारा स्थापित नही किया गया है । जैसा कि आप को विदित होगा कि आयुर्वेद के 1970 एवं होम्योपैथी के 1973 मे एक्ट बनने के उपरान्त उन सभी चिकित्सको को वैध माना गया है । जिन्होने 1970 एवं 1973 से पूर्व किसी भी संस्था से कोई भी डिप्लोमा प्राप्त किया हो वे सभी वैध है। **इसी तरह अभी तक सरकार द्वारा कानून न बनाने के कारण नैचरोपैथी मे पंजीकृत संस्थाओ द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा पूर्ण रूप से वैध है ।**

बोर्ड आफ नेचुरोपैथी सिस्टम आफ मेडिसन उ0प्र0 अधीन इन्द्रप्रस्थ शिक्षा प्रचार समिति जो उ0प्र0 सरकार द्वारा सोस्याईटी एक्ट के अधीन पंजीकृत है जिसकी पंजीकृत संख्या 1309/09 है।

जो अपने पंजीकृत उद्देशय के अनुसार नैचरोपैथी एंव योगा की संस्थाओ का संचालन कर इसकी शिक्षा-दिक्षा, प्रशिक्षण हेतू परीक्षा का आयोजन कर सफल अभ्यर्थियो को डी0एन0वाई0एस तीन वर्षीय , बी0एन0वाई0एस0 साढे चार वर्षीय , एंव एन0डी0 एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करती है जो सोस्याईटी एक्ट के अधीन पूर्ण रूप से मान्य इसलिए है क्योकि अभी तक केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सेकार द्वारा कोई सरकारी बोर्ड अथवा कानून का गठन नही किया गया है तथा यह संस्था नैचरोपैथी का प्रचार-प्रसार एंव शिक्षण संस्थाये स्थापित करने हेतू पंजीकृत है ।